पशु आहार संयंत्र, नदबई (भरतपुर) राजस्थान

No. :- RCDF/CFPNAD/F.( )/2026-27/3111-22 Date :- 23/06/2026

निविदा सूचना

कैटल फीड प्लान्ट नदबई पर निम्नलिखित कार्यो की निविदायें आमंत्रित की जाती है–

क्र सं.	निविदा का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रस्तुत करने का प्रकार	यूबीएन नम्बर
1.	मैन पॉवर आपूर्ति निविदा।	170 लाख रू.	ऑन लाईन	CDF2627SLRC00463
2.	स्टेशनरी आपूर्ति एवं प्रिन्टिंग कार्य।	5 लाख रू.	आफ–लाईन	CDF2627GSRC00464
3.	बिल्डिंग मैटेरियल, टीन शैड एवं मरम्मत कार्य।	4.90 लाख रू.	आफ–लाईन	CDF2627WSRC00465
4.	कम्प्यूटर/फोटो कॉपी मशीन/इनवेटर आपूर्ति।	5 लाख रू.	आफ–लाईन	CDF2627GSOB00466
5.	मोटर रिवाईडिंग कार्य।	2 लाख रू.	आफ–लाईन	CDF2627WSOB00467

निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचनायें, निविदा प्रपत्र मय शर्तो के विभाग की बेबसाईट **www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी व डाउनलोड जा सकती है।

राज.संवाद/सी/26/5682 **प्रबन्धक, सीएफपी नदबई**

सीधन में जमे रहे-रुकावट प्लाट

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Where Service is a way of life

शाखाः हज़रतगंज, लखनऊ, ईमेलः L0166@psb.bank.in, फ़ोनः 0522-4300058

मोचन (सम्पत्ति को छुड़ाने की) सूचना

दिनांकः 24.06.2026

1. मेसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज (ऋणकर्ता) पताः उधौली मसौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश-225412

2. कुमारी गरिमा पटेल पुत्री स्व. विंधेश्वर (सह-ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता) पताः उधौली मसौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश-225412

3. श्री. विंधेश्वर पुत्र स्व. प्यारे लाल वर्मा (जमानतकर्ता) पताः उधौली मसौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश-225412

श्रीमान/श्रीमती,

रजि. निम्न खाते में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13 (8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के नियमों में संपत्ति छुड़ाने हेतु सूचनाः-

मेसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, शाखाः हज़रतगंज (L0166)

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **16.06.2025** को एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति आस्तियों में प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु एक उपाय है।

इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए दिनांक **17.09.2025** को प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा ले लिया ।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं. इसलिए अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त ऋणकर्ताओं एवं जमानतकताओं से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13 (8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

प्रतिभूति आस्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरणः-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना ।

ई-नीलामी तिथि एवं समय	:	**30.07.2026, प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे**
निरीक्षण तिथि	:	**29.07.2026**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	**30.07.206**

ऋणकर्ता एवं जमानतकर्ता का नाम	**1. मेसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज (ऋणकर्ता)** **2. कुमारी गरिमा पटेल पुत्री स्व. विंधेश्वर (सह-ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता)** **3. श्री. विंधेश्वर पुत्र स्व. प्यारे लाल वर्मा (जमानतकर्ता)**
मांग सूचना की तिथि और राशि, खाता विवरण	मांग सूचना की तिथिः 16.06.2025, 31.05.2025 तक राशि रू. 59,01,695.28 (उनसठ लाख एक हज़ार छह सौ पच्चानबे रूपये एवं अट्ठाइस पैसे मात्र) + 01-06-2025 से मासिक आधार पर भविष्य का ब्याज + कानूनी शुल्क
31.12.2025 तक कुल बकाया	खाता सं0 1) 01661200002181, 2) 01661600000113 राशि रू. 62,10,759.28/- (बासठ लाख दस हज़ार सात सौ उनसठ रूपये एवं अट्ठाइस पैसे मात्र) 31-03-2026 तक + भविष्य का ब्याज 01-04-2026 से मासिक आधार पर + कानूनी शुल्क
सम्पत्ति का विवरण	**एमआरपी (लाख में)**
(गैर कृषि) वेयर हाउस, गेट नं. 948 का भाग, ग्राम- उधौली, फैजाबाद, अहमदपुर, परगना प्रतापगंज, तहसील-नवाबगंज, जिला बाराबंकी. क्षेत्रफलः 1000 वर्ग मीटर मालिकः कुमारी गरिमा पटेल पुत्री विंधेश्वर बुक सं.1, ज़िल्द सं. 15655, पेज सं. 139 से 159, क्रमांक 24157 में 09.11.2022 को रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार कार्यालय सदर बाराबंकी में पंजीकृत।	**रू. 88,50,000.00/-**
कुल	**रू. 88,50,000.00/-**

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Where Service is a way of life

शाखाः हज़रतगंज, लखनऊ, ईमेलः L0166@psb.bank.in, फ़ोनः 0522-4300058

मोचन (सम्पत्ति को छुड़ाने की) सूचना

दिनांकः 24.06.2026

1. श्री रईस हैदर, पुत्र श्री मिर्ज़ा साजिद हुसैन (ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता), पताः 395/73ए, कश्मीरी मोहल्ला रोड, उत्तर प्रदेश-226003

2. श्रीमती दाइजी अफ़साना, पत्नी श्री रईस हैदर (जमानतकर्ता), पताः 395/73ए, कश्मीरी मोहल्ला रोड, उत्तर प्रदेश-226003

श्रीमान/श्रीमती,

रजि. निम्न खाते में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13 (8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के नियमों में संपत्ति छुड़ाने हेतु सूचनाः-

श्री रईस हैदर, पुत्र मिर्ज़ा साजिद हुसैन, शाखाः हज़रतगंज (L0166)

खाता सं0- 1) 01661200000813 2) 01661200001012

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **10.02.2026** को एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति आस्तियों में प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु एक उपाय है।

इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए दिनांक **18.04.2026** को प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा ले लिया ।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं. इसलिए अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त ऋणकर्ताओं एवं जमानतकताओं से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13 (8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

प्रतिभूति आस्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरणः-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना ।

ई-नीलामी तिथि एवं समय	:	**30.07.2026, प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे**
निरीक्षण तिथि	:	**29.07.2026**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	**30.07.206**

ऋणकर्ता एवं जमानतकर्ता का नाम	**1. श्री रईस हैदर, पुत्र श्री मिर्ज़ा साजिद हुसैन (ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता)** **2. श्रीमती दाइजी अफ़साना, पत्नी श्री रईस हैदर (जमानतकर्ता)**
मांग सूचना की तिथि और राशि, खाता विवरण	मांग सूचना की तिथिः 10-02-2026, (अ) हाउसिंग लोन - रू. 4,52,460.27/- (चार लाख बावन हज़ार चार सौ साठ रूपये और सत्ताइस पैसे मात्र) 31-01-2026 तक + ब्याज और भविष्य के खर्च 01-02-2026 से + अन्य कानूनी खर्च (ब) सम्पत्ति के बदले लोन - रू. 1,40,903.47/- (एक लाख चालीस हज़ार नौ सौ तीन रूपये और सैंतालीस पैसे मात्र) 31-01-2026 तक + ब्याज और भविष्य के खर्च 01-02-2026 से + अन्य कानूनी खर्च
31.05.2026 तक कुल बकाया	(अ) हाउसिंग लोन - 31-05-2026 तक रू. 4,68,673.27/- (चार लाख अड़सठ हज़ार छह सौ तिहत्तर रूपये और सत्ताइस पैसे मात्र) + 01-06-2026 से ब्याज और भविष्य के खर्च + अन्य कानूनी खर्च (ब) सम्पत्ति के बदले लोन - 31-05-2026 तक रू. 1,46,878.47/- (एक लाख छियालीस हज़ार आठ सौ अठहत्तर रूपये और सैंतालीस पैसे मात्र) + 01-06-2026 से ब्याज और भविष्य के खर्च + अन्य कानूनी खर्च
सम्पत्ति का विवरण	**एमआरपी (लाख में)**
पताः मकान निहित म्युनिसिपल सं0 392/394, जो प्लॉट सं0 44, मोहल्ला मैदान एल.एच खान, सादतगंज, लखनऊ में स्थित है; क्षेत्रफल 46.46 वर्ग मीटर; मालिकः श्री रईस हैदर, पुत्र श्री मिर्ज़ा साजिद हुसैन। टाइटिल विलेख का विवरणः बुक सं0 1, जिल्द सं0 3390, पेज सं0 39 से 62, क्रम सं0 3437 पर दि0 15.05.2007 को रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला लखनऊ में पंजीकृत। सुधार विलेखः बुक सं0 1, जिल्द सं0 4472, पेज सं0 235 से 246, क्रम सं0 9741 पर दि0 20.11.2008 को रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, ज़िला लखनऊ में पंजीकृत।	**रू. 16,00,000.00/-**
कुल	**रू. 16,00,000.00/-**

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLLAKAN00568338 1. अभिषेक कटियार प्रोपराइटर मेसर्स अभिषेक कटियार 2. दीपशिखा 3. सुनीता देवी	मकान नंबर 92 का हिस्सा, क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज, यानी 74.31 वर्ग मीटर, मसवानपुर में स्थित है, कानपुर नगर-208019, उत्तर प्रदेश।	03.06.2026	रु. 27,93,290.54/- (रुपए सत्ताईस लाख तिरानवे हजार दो सौ नब्बे और चौवन पैसे मात्र) 09.06.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

स्थान : कानपुर

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Where Service is a way of life

शाखाः जायस, अमेठी-229305, ईमेलः j0958@psb.bank.in, फोनः 9451395859

मोचन (सम्पत्ति को छुड़ाने की) सूचना

दिनांकः 22.06.2026

1- मेसर्स शुक्ला ऑयल मिल (ऋणकर्ता) प्रो0 राज कुमार शुक्ला पुत्र प्रभु डे निवासी खालिशपुर कोटवरमऊ फुर्सतगंज जिला-अमेठी

2-रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह जिला-अमेठी निवासी पूरे अम्बर सिंह, मोहैयाकेसरिया, फुर्सतगंज जिला- अमेठी

3-प्रशांत सिंह चौहान पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम छोटीकेशरिया बेतौरा जिला-रायबरेली

4- कंचन शुक्ला पत्नी राज कुमार शुक्ला निवासी खालिशपुर कोटवरमऊ, फुरसतगंज जिला-अमेठी

श्रीमान/श्रीमती,

रजि. निम्न खाते में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13 (8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के नियमों में संपत्ति छुड़ाने हेतु सूचनाः-

मेसर्स शुक्ला ऑयल मिल प्रो0 राज कुमार शुक्ला एवं अनिल कुमार पाण्डेय, शाखाः जायस।

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **18.07.2016** को एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति आस्तियों में प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु एक उपाय है।

इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए दिनांक **20.12.2016** को प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा ले लिया ।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं. इसलिए अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त ऋणकर्ताओं एवं जमानतकताओं से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13 (8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

प्रतिभूति आस्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरणः-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना ।

ई-नीलामी तिथि एवं समय	:	**30.07.2026, प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे**
निरीक्षण तिथि	:	**29.07.2026**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	**30.07.206**

ऋणकर्ता एवं जमानतकर्ता का नाम	**1-मेसर्स शुक्ला ऑयल मिल (ऋणकर्ता) प्रो0 राज कुमार शुक्ला पुत्र प्रभु डे (ऋणकर्ता)** **2-रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह** जिला-अमेठी **(जमानतकर्ता)** **3-प्रशांत सिंह चौहान पुत्र अशोक कुमार सिंह। (जमानतकर्ता)** **4- कंचन शुक्ला पत्नी राज कुमार शुक्ला (जमानतकर्ता)**
मांग सूचना की तिथि और राशि, खाता विवरण	मांग सूचना की तिथिः 18.07.2016, 30.06.2016 तक राशि रू. 22,77,558.00 प्लस 01.07.2016 से ब्याज एवं भावी खर्चे
30.06.2016 तक कुल बकाया	09581200000119- रू. 720940.00 डीआर 09581300000041- रू.1556618.00 डीआर कुल बकाया= रू. 2277558.00 डीआर (बाईस लाख सतत्तर हज़ार पाँच सौ अट्ठावन मात्र)।
सम्पत्ति का विवरण	**एमआरपी (लाख में)**
टाइटल डीड बुक सं0-1 खंड-2201 पेज 35-44 डीड सं0 3386, दिनांक 22.08.2015, एसआर ऑफिस-तिलोई, एरिया-425 वर्ग मीटर	**रू. 81.86 लाख**
कुल	**रू. 81.86 लाख**

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Where Service is a way of life

शाखाः चारबाग, गुरूद्वारा रोड, नाका हिंडोला, लखनऊ-226004 ईमेलः L0916@psb.bank.in, फोनः 9580508521

मोचन (सम्पत्ति को छुड़ाने की) सूचना

दिनांकः 22.06.2026

1. श्री हरिशंकर विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री वृन्दावन विश्वकर्मा मकान नगर पालिका संख्या 555क/1198, खसरा संख्या 1198 का भाग, खुशी विहार ग्राम कनौसी, वार्ड-केसरी खेड़ा लखनऊ 226011

2. श्रीमती तुलसी विश्वकर्मा पत्नी हरिशंकर विश्वकर्मा मकान नगर पालिका संख्या 555क/1198, खसरा संख्या 1198 का भाग, खुशी विहार ग्राम कनौसी, वार्ड-केसरी खेड़ा लखनऊ 226011

श्रीमान/श्रीमती,

रजि. निम्न खाते में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13 (8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के नियमों में संपत्ति छुड़ाने हेतु सूचनाः-

श्री हरिशंकर विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री वृन्दावन विश्वकर्मा, शाखाः चारबाग, लखनऊ

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **01.09.2025** को एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति आस्तियों में प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु एक उपाय है।

इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए दिनांक **15.12.2025** को प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा ले लिया ।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं. इसलिए अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त ऋणकर्ताओं एवं जमानतकताओं से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13 (8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

प्रतिभूति आस्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि।

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना का विवरणः-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना ।

ई-नीलामी तिथि एवं समय	:	**30.07.2026, प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे**
निरीक्षण तिथि	:	**29.07.2026**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	**30.07.206**

ऋणकर्ता एवं जमानतकर्ता का नाम	**ऋणकर्ताः श्री हरिशंकर विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री वृन्दावन विश्वकर्मा, जमानतकर्ताः श्रीमती तुलसी विश्वकर्मा पत्नी हरिशंकर विश्वकर्मा**
मांग सूचना की तिथि और राशि, खाता विवरण	मांग सूचना की तिथिः 01.09.2025, रू. 21,36,288.21 + 01-07-2025 से भविष्य का ब्याज
31.03.2026 तक कुल बकाया	1. 09161200732904- रू. 1676821.29/- 2. 09161200732947- रू. 588920.92/- कुलः रू. 2265742.21/- (बाईस लाख पैंसठ हज़ार सात सौ बयालीस रूपये एवं इक्कीस पैसे मात्र)
सम्पत्ति का विवरण	**एमआरपी (लाख में)**
मकान नंबर 555क/1198, खसरा नंबर 1198 का हिस्सा, खुशी विहार, गाँव कनौसी, वार्ड-केसरी खेड़ा, लखनऊ। टाइटल विलेख का विवरणः क्रम सं0 1082 पर, बुक सं0 1, जिल्द सं0 4665, पेज सं0 367 से 388 पर सब-रजिस्ट्रार-1, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत।	**रू. 146.00 लाख**
कुल	**रू. 146.00 लाख**

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह

Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

Where Service is a way of life

शाखाः जायस, अमेठी-229305, ईमेलः j0958@psb.bank.in, फोनः 9451395859

मोचन (सम्पत्ति को छुड़ाने की) सूचना

दिनांकः 22.05.2026

1. मेसर्स हर्षित ऑटो सेल्स प्रोपः श्री राज कुमार तिवारी पुत्र स्व. राम तेज तिवारी निवासीः तिलोई तहसील-तिलोई जिलाः अमेठी।

2. श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी स्व. श्री राज कुमार तिवारी निवासी तिलोई तहसील तिलोई जिलाः अमेठी।

3. श्री अखिलेश तिवारी पुत्र श्री राम मिलन निवासीः 1764 तिलोई तहसील-तिलोई जिला अमेठी

श्रीमान/श्रीमती,

रजि. निम्न खाते में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13 (8) के अंतर्गत आपको प्रदत्त अधिकार के नियमों में संपत्ति छुड़ाने हेतु सूचनाः-

मेसर्स हर्षित ऑटो सेल्स प्रोपः श्री राज कुमार तिवारी, शाखाः जायस।

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **18.07.2016** को एक मांग सूचना जारी की है, जो आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति आस्तियों में प्रतिभूति हित प्रवर्तन हेतु एक उपाय है।

इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हुए दिनांक **17.10.2018** को प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा ले लिया ।

चूंकि आप बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं. इसलिए अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त ऋणकर्ताओं एवं जमानतकताओं से बैंक को देय ऋणों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान वित्तीय आत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है जहाँ प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13 (8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

**प्रतिभूति आस्तियों के पट्